

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

मुकाम भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उनवान

नारायण


बनाम

शानिकाल

मुकदमा ... 111-1-28 वादपत्र / प्रार्थना पत्र / मुकदमा नं. 295/2025

तारीख पेशी	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम / जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	---------------------------------	--

20/5/25
दाद जांच वाद / प्रार्थना पत्र / ईजराय / अपील पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। सुचना विपक्षीयों को जरिये तलवाना के अनुसार जारी हो। पत्रावली दिनांक 13/6/25 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा


13/6/25
पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 24/6/25 को पेश हो।

21
आज्ञा से रीडर

24/6/25
पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 31/7/25 को पेश हो।

21
आज्ञा से रीडर

30/7/25
पत्रावली पेश हुयी उमयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 12/8/25 को पेश हो।


आदेश से रीडर

12-08-25 पराकली पेशा डूडे प्राथीगण अधिकरना
 उपस्थित विपक्षीगण के सम्मन पर
 होटर रिप्लिक रिपोर्ट प्राप्त हुई है
 विपक्षीगण अनुपस्थित हो प्राथीगण
 अधिकरना द्वारा ग्राम बेशरपुरा परम
 सेधुरिमा सहलीन मीलकाण के ओ.न.
 623, 624, 625, 626, 627, 638, 641, 643
 कुना 8 रबुस 0.9610 हे० भूमि रकतेदारी
 के सह रकतेदार दर्ज रिबार्डि हो प्राथीगण
 पर के किन्क सं० 5 में प्राथी अधिकरना
 ने अंतिम दिया है कि जगनाथ पि० भोला
 का नाम गलत है अथ रि फर्मिमान
 रामस्य रिबार्डि अत्रिदा जगनाथ पि० भोला
 रिबार्डि रकतेदार हो ~~अथनाथ अतः~~ उपरज
 में भूमि संपुन रकतेदारी दर्ज होने से
 पंथरगही के आदेश उदान नहीं दिवे जा
 सते है प्राथीगण का प्राथीगण पर
 अन्तति धारा 111-128 के अंत भूमि
 संपुन रकतेदारी होने से रकारिस रिच
 माना है उपरज फुंयान सुमार होटर
 गम्बर से सुम हो।

उपखण्ड अधिकारी
 मीलकाण